रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257882 CG-DL-E-15102024-257882

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4131]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2024/अश्विन 22, 1946 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASVINA 22, 1946

No. 4131]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4494(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, यूटेंसिल्स और कैन्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो इस अधिक्रमण से पहले किए गए हों अथवा किए जाने से छूट गए हों, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, यूटेंसिल्स और कैन्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
- (2) इस आदेश में अन्यथा की गई व्यवस्था को छोड़कर, यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-॥ की स्कीम-। के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

6654 GI/2024 (1)

बशर्ते कि इस आदेश का कोई भी प्रावधान निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कोई भी प्रावधान, ऐसे उद्यमों द्वारा घरेलू रूप से निर्मित माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के "उद्यम पोर्टल" पर पंजीकृत हैं, जिनमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण की मूल लागत पर पच्चीस लाख रुपए से अधिक निवेश नहीं किया गया हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष का टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक ना हो।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश का कोई भी प्रावधान उन माल या वस्तुओं पर भी लागू नहीं होगा, जो इस आदेश की तालिका में निर्दिष्ट कार्यान्वयन की तारीख से पहले, ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या प्रमाणन हेतु ब्यूरो के समक्ष आवेदन करने वाले विनिर्माता या संगत माल या वस्तुओं के आयातक द्वारा घरेलु रूप से विनिर्मित या आयातित किया गया हो, ऐसे विनिर्माता या आयातक को इस आदेश की तालिका में कार्यान्वयन विनिर्देश की तारीख से छह माह तक ऐसे घोषित स्टॉक की बिक्री करने या प्रदर्शित करने या विक्रय करने का प्रस्ताव करने की अनुमति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि ऐसे विनिर्माता या आयातक द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित की गई इस आशय की घोषणा ब्यूरो को दी जाएगी:

बशर्ते कि इस आदेश में कोई भी प्रावधान उन माल या वस्तुओं पर भी लागू नहीं होगा, जो भारत में आयात किए जाने पर ठोस, तरल या गैस के किसी भी रूप में सामग्री से भरे हुए हैं:

बशर्ते कि इस आदेश का कोई भी प्रावधान खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, यूटेंसिल्स और कैन्स विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रति वर्ष आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों तक आयातित वस्तुओं या सामानों पर, इस शर्त के साथ लागू नहीं होगा कि ऐसी आयातित वस्तुओं या सामानों को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटान किया जाएगा तथा विनिर्माता ऐसे माल या वस्तुओं का वर्षवार अभिलेख रखेंगे और इसका विवरण केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- **4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम ·	वस्तु तथा	भारतीय मानक			सूक्ष्म उद्यमों के लिए	•
सं.	सामान		का शीर्षक	कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और	कार्यान्वयन की तिथि	कार्यान्वयन की तिथि
				लघु उद्यमों को छोड़कर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.		14756:2022		1 अप्रैल, 2025	1 अक्तूबर, 2025	1 जूलाई, 2025
	पदार्थों के लिए		यूटेंसिल्स			
2.	कुकवेयर,	1660:2009	रॉट एल्यूमीनियम			
	यूटेंसिल्स और कैन्स		यूटेंसिल्स			
3.	7// (1	13983:1994				
			के लिए स्टेनलेस स्टील			
			स्टनलस स्टाल सिंक			

4.	9396 (भाग 1): खाद्य और पेय
	1987 पदार्थों के लिए
	राउंड ओपन
	टोप सैनिटरी कैन्स - टिनप्लेट
5.	14407:1996 पेय पदार्थों के
	ि लिए एल्युमीनियम
	् एल्यूमानियम्
	अगरा

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी - 29026/14/2023- एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 11th October, 2024

- **S.O.** 4494(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and subsection (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Cookware, Utensils and Cans for foods and beverages (Quality Control) Order 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages (Quality Control) Order, 2024.
- (2) Save as otherwise provided in this order, it shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in Column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in Column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprise and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under "Udyam portal" of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of implementation specified in the Table of this order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification or by the importer for the relevant goods and articles and such manufacturer or importer shall be permitted to sell or

display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of implementation specified in the Table of this Order, subject to the condition that such manufacturer or importer shall make a declaration to this effect certified by a Chartered account to the Bureau:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles filled with material in any form solid, liquid or gas, when imported into India:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of Cookware, Utensils and Cans for Food and Beverages per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain a year-wise record of such goods and articles and furnish to the Central Government.

- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in Column (2) of the Table.
- 4. **Penalty for contravention.** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

S.No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in General (other than micro and small enterprises)	Date of Implementation for micro enterprises	Date of Implementation for small enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cookware, Utensils and Cans for foods and beverages	14756:2022	Stainless Steel Utensils	1 st April, 2025	1 st October, 2025	1 st July, 2025
2.		1660:2009	Wrought Aluminium Utensils			
3.		13983:1994	Stainless Steel Sinks for Domestic Purposes			
4.		9396 (Part 1): 1987	Round Open Top Sanitary Cans for Foods and Drinks- Tinplate			
5.		14407:1996	Aluminium cans for beverages			

TABLE

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/14/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.